

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाका दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

जसपाल कौर उर्फ गुरविन्द्र कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 17/2021

निर्णय दिनांक :- 26.07.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबस उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी अधिवक्ता वादी श्री सुभाष गोयल पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,
136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक 9 ओ की
जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 10/10 में वादिया का नाम गुरविन्द्र कौर पत्नी
बोहड सिंह के स्थान पर गुरविन्द्र कौर उर्फ जसपाल कौर पत्नी बोहड सिंह जाति जटसिख निवासी 8
ओ तहसील श्रीकरणपुर अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 26/07/21 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 268

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर

दिनांक: 30/07/21

{लाखाराम आर.ए.एस}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
श्री करणपुर